



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629]
No. 629]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 8, 2008/वैशाख 18, 1930
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 8, 2008/VAISAKHA 18, 1930

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(बाल श्रम अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2008

का.आ. 1109(अ).—बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित व्यवसायों को जोड़ने की मंशा जाहिर करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की अनुसूची में :—

(1) भाग क में, "व्यवसायों" शीर्षक के अंतर्गत मद (15) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"(16) डाइविंग";

(2) भाग ख में, "प्रक्रियाएं" शीर्षक के अंतर्गत मद (57) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"(58) अत्यधिक ताप (जैसे-भट्ठी के नजदीक कार्य करना) तथा ठंड के संपर्क (एक्सपोजर) वाली प्रक्रियाएं;

(59) यांत्रिक विधि से मछली पकड़ना;

(60) खाद्य प्रसंस्करण;

(61) पेय-पदार्थ संबंधी उद्योग;

(62) लकड़ी हैंडलिंग तथा लादने संबंधी कार्य;

(63) मैकेनिकल लुम्बरिंग;

(64) वेयर हाउसिंग;

(65) खुले सिलिका जैसे—स्लेट, पेंसिल उद्योग, पत्थर पिसाई, स्लेट पत्थर खनन कार्य, पत्थर खदान, एगोट उद्योग संबंधी कार्यों के संपर्क वाली प्रक्रियाएं। "

[फा. सं. एस-27012/3/97-सीएल]

एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:— इस अनुसूची में संशोधन के लिए पिछली अधिसूचना दिनांक 5 जून, 1989 की अधिसूचना का.आ. 404(अ), दिनांक 29 मार्च, 1994 की अधिसूचना का.आ. 263(अ), दिनांक 27 जनवरी, 1999 की अधिसूचना का.आ. 36(अ), दिनांक 10 मई, 2001 की अधिसूचना का. आ. 397(अ), तथा दिनांक 10 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना का.आ. 1742(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(CHILD LABOUR SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2008

S.O. 1109(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), the Central Government hereby gives of its intention to add the following occupations in the Schedule to the said Act, namely :—

In the Schedule to the said Act,—

- (1) in Part A, under the heading “Occupations”, after item (15) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be added, namely :—
- “(16) Diving”;
- (2) in Part B, under the heading “Processes”, after item (57) and the entries relating thereto, the following items and the entries shall be added, namely :—

- “(58) Processes involving exposure to excessive heat (e.g. working near furnace) and cold;
- (59) Mechanised fishing;
- (60) Food Processing;
- (61) Beverage Industry;
- (62) Timber handling and loading;
- (63) Mechanical Lumbering;
- (64) Warehousing;
- (65) Processes involving exposure to free silica such as slate, pencil industry, stone grinding, slate stone mining, stone quarries, agate industry.”

[F.No. S-27012/3/97-CL]

S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.

Footnote :— The first notification to amend the Schedule was published in the Gazette of India, *vide* Notification No. S.O.404 (E) dated the 5th June, 1989 S.O.263 (E) dated the 29th March, 1994, S.O.36(E) dated the 27th January, 1999, S.O.397 (E) dated the 10th May, 2001 and S.O. 1742 (E) dated the 10th October, 2006.